संख्याः 788/87-आत0ऊ0स्रो0वि0/2024

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
उ०प्र० नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग — दिनांक: 31 जुलाई, 2024

विषय- उ०प्र० ग्रीन हाईड्रोजन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रथम 05 परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1388/यूपीनेडा/ग्रीन हाईड्रोजन/2024 दिनांक 14 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वाराउ0प्र0 ग्रीन हाईड्रोजन नीति-2024 के प्रस्तर-8.2.1 के विकल्प-1- ''पूँजीगत उपादान के अन्तर्गत विशेष वित्तीय उपादान के अन्तर्गत 05 निवेशकों के चिह्नांकन की प्रक्रिया का निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० ग्रीन हाईड्रोजन नीति-2024 के अन्तर्गत प्रथम 05 परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रथम 05 निवेशकों का चिह्नांकन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा:-

1- ग्रीन हाईड्रोजन पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक 30-30 दिनों में प्राप्त प्रस्तावों को एक श्रेणी माना जाएगा। 30 दिनों के समय को एक श्रेणी में मानने की व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि पोर्टल शुरू होने के दिन पूर्व सूचना के कारण यदि किसी निवेशक द्वारा आवेदन कर दिया जाता है, तो उसे अनुचित लाभ न मिल सके।

2- एक श्रेणी में आए कई प्रस्तावों/परियोजनाओं का चयन अधिक पूंजी निवेश के आधार पर किया जाएगा।

3- यदि एक श्रेणी में आए कई प्रस्तावों का पूंजी निवेश समान होता है तो उ०प्र० के अन्तर्गत अधिक रोजगार सृजन के आधार पर चयन किया जाएगा।

4- उपरोक्त दोनों स्थिति में समानता होने पर आवेदन की तिथि को आधार माना जाएगा।

5- अल्ट्रा मेगा की 03 तथा सुपर मेगा की 02 परियोजनाओं (कुल 05 परियोजनाएं) को विहित किया जाएगा।

6- यदि पहले 30 दिवस में अल्ट्रा मेगा की 03 एवं सुपर मेगा की 02 से अधिक परियोजना का पूर्ण आवेदन प्राप्त होता है, तो प्रथम 05 निवेशकों के चयन के उपरांत इस कार्य हेतु आवेदन प्राप्त नहीं किये जाएंगे।

7- पूर्ण आवेदन का अर्थ यह माना जाएगा कि समयावधि व्यतीत होने के उपरांत न कोई अतिरिक्त सूचना एवं न कोई संशोधन पोर्टल पर अपलोड किया

जाएगा।

8. पोर्टल के प्रारम्भ दिवस के प्रचार-प्रसार हेतु यूपीनेडा द्वारा पब्लिक नोटिस, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा, जिससे समस्त निवेशकों को समान रूप से सूचित किया जा सके।

9- विशेष वित्तीय उपादान की 05 परियोजनाओं के अतिरिक्त पोर्टल के माध्यम से प्राप्त अन्य प्रस्तावों का मूल्यांकन 30-30 दिन की श्रेणी के आधार पर किया जाएगा।

10- इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की व्याख्या हेतु नीति के बिन्दु सं0-14 के अनुसार गठित राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

Signed by
Prashant Sharma
Date: 30-07-2024 13:19:32 (प्रशान्त शर्मा)

संख्या-788(1)/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2024, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व/सिंचाई एवं जल संसाधन / ऊर्जा/पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन / स्टॉम्प एवं निबन्धन, उ०प्र० शासन।
2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(प्रशान्त शर्मा)